कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, मध्यप्रदेश

आदेश

भोपाल, दिनांक-20/03/2020

क्रमांक-01/तक/2020, विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं भारत सरकार की विभिन्न एडवाइजरी द्वारा कोरोना वायरस COVID-19 को वैश्विक आपदा घोषित होने तथा उससे बचाव को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्णय किया जाता है कि दस्तावेजो के पंजीयन के लिए यदि पक्षकारो द्वारा भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के प्रावधानों के अंतर्गत दस्तावेजों को निष्पादित कर उस पर संपदा के माध्यम से समुचित मुद्रांक शुल्क तथा रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 के प्रावधानों के अंतर्गत देय पंजीयन फीस का भुगतान कर 31 मार्च 2020 समय 23.59 तक कर लिया जाता है तो, दस्तावेज मे उपवर्णित तथ्यो एवं मेटा डेटा का वर्णन समान रहने के अध्याधीन रहते हुये, आगामी वित्तीय वर्ष 2020-2021 की दरें उक्त दस्तावेजो पर प्रभावी नही होंगी एवं संपत्ति का मूल्यांकन, स्टाम्प शुल्क, पंजीयन शुल्क, उपकर तथा अन्य अतिरिक्त शुल्क आदि वित्तीय वर्ष 2019-2020 के अनुरूप ही मान्य होगा।

उक्त परिप्रेक्ष्य मे वैश्विक आपदा कोरोना वायरस COVID-19 से बचाव को दृष्टिगत रखते हुए दस्तावेजो का पंजीयन का कार्य (जिसमें भौतिक उपस्थिति आवश्यक होती है) 31 मार्च 2020 तक प्रदेश के समस्त उप पंजीयक कार्यालयो मे पक्षकारो उपस्थित कराने/बायोमैट्रिक/अंगूठा/हस्ताक्षर आदि (Public Inteface) बंद रखा जाये।

समस्त वरिष्ठ जिला पंजीयक तथा जिला पंजीयक यह सुनिश्चित करेंगे कि पंजीयन कार्यालयों मे उक्तानुसार निर्देशो का पालन हो।

महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश

पृष्ठांकन/887/ तक/2020 भोपाल, दिनांक-20/03/2020

प्रतिलिपि

1. मुख्य सचिव कार्यालय मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ ।
2. अपर मुख्य सचिव वा. कर विभाग मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ ।
3. प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ ।
4. आयुक्त, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ ।
5. आयुक्त जनसंपर्क मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ ।
6. समस्त संभागीय आयुक्त मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ ।
7. समस्त कलेक्टर मध्य प्रदेश की ओर सूचनार्थ ।
8. समस्त परिक्षेत्रीय उप महानिरीक्षक पंजीयन, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
9. समस्त वरिष्ठ जिला पंजीयक/जिला पंजीयक, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश

Scanned with CamScanner